फर्द अहकाम

प्रक. निग. ...
...-3/2016

जगदीश बनाम ग्राम पंचा. मोहब्बतपुरा व अन्य

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
...	पत्रावली पेश हुई। वकला फरीकेन उपस्थित। बहस नहीं हुई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 2?-6-17 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
...-6-17	पत्रावली पेश हुई वकला फरीकेन उपस्थित। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 30-5-17 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
30-5-17	पत्रावली पेश हुई वकला फरीकेन उपस्थित। पुनः बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 27.06-17 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
27-6-17	पत्रावली पेश हुई वकला फरीकेन उपस्थित। निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और निगरानीकर्ता ... फैसला दि0 5-2-2013 ... के हक में जारी पट्टा सं0 73 निरस्त किया जाता है। पूर्व का निर्णय दिनांक 25-5-2015 पंचायत रखते हुए के आदेश दिए जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर नम्बर से कम होकर निर्णय ... इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

पंचायत निगरानी संख्या : 24/2016

जगदीश प्रसाद पुत्र श्री चन्दाराम, जाति–बलाई, निवासी–ग्राम डाबला बुजुर्ग, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत–मोहब्बतपुरा जरिये सरपंच, पंचायत समिति–फागी, जिला–जयपुर।
2. गजेन्द्र शर्मा पुत्र मुन्नालाल शर्मा, जाति–बागडा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम डाबला बुजुर्ग, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण

(पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा दिनांक 05.02.2013 एवं इसके अनुसरण में दिनांक 05.02.2013 को जारी किया गया पट्टा सं0 73 बहक श्री गजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री मुन्नालाल, को निरस्त करने)

उपस्थितिः–

1. श्री सत्यनारायण शर्मा, अभिभाषक निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री भूपेन्द भारद्वाज, अभिभाषक,गैर–निगरानीकर्ता सं. 2 की ओर से।
3. गैर–निगरानीकार सं0 1 बावजूद तामील अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 27.06.2017

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत–मोहब्बतपुरा ने अपनी आज्ञा दिनांक 05.02.2013 द्वारा गजेन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा, निवासी–डाबला बुजुर्ग को उसके कब्जेशुदा मकान का बिनियमितिकरण कर पट्टा जारी करने का निर्णय किया हैं, जिसके अनुसरण में दिनांक 05.02.2013 को पट्टा सं0–73 जारी किया गया हैं। इस आज्ञा दिनांक 05.02.2013 एवं पट्टा सं0–73 से व्यथित होकर निगरानीकर्ता जगदीश प्रसाद ने दिनांक 21.08.2013 को न्यायालय अति0 कलक्टर (द्वितीय) जयपुर में निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण सं0 34/2013 उनवानी जगदीश प्रसाद बनाम ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा वगैराह दर्ज हुई। गैर–निगरानीकर्तान के अनुपस्थित रहने पर निगरानीकर्ता की एकपक्षीय सुनवाई की जाकर दिनांक 25.05.2015 को निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए पट्टा सं0–73 को निरस्त करने की आज्ञा दी। आज्ञा दिनांक 25.05.2015 के विरूद्ध

उच्च न्यायालय में एस.बी.
सिविल रिट पिटिशन सं0 14649/2015 उनवानी गजेन्द्र शर्मा बनाम राजस्थान सरकार वगै0 प्रस्तुत की जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.2016 को याचिकाकर्ता गजेन्द्र शर्मा को रिट याचिका को विड्रो करने की स्वीकृति देकर रिट को खारिज करते हुए लिबर्टी दी गई कि न्यायालय अति0 कलक्टर (द्वितीय) जयपुर में प्रथमतः आज्ञा दिनांक 25.05.2015 के विरूद्ध इस आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जावे कि याचिकाकर्ता गजेन्द्र शर्मा को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। हॉलाकि याचिकाकर्ता गजेन्द्र शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष झूंठे तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। न्यायालय अति0 कलक्टर (द्वितीय) जयपुर में याचिकाकर्ता गजेन्द्र पूर्व में जरिये अभिभाषक हाजिर हुए हैं और नियत दिनांक पर अनुपस्थित रहने पर ही एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार आज्ञा दिनांक 25.05.2015 पारित की गई हैं। इसके बावजूद भी न्याय का सिद्धान्त हैं कि न्याय करते समय न्याय दिखना भी चाहिए। इस तथ्य को मध्यनजर रखते हुए याचिकाकर्ता गजेन्द्र शर्मा का प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.05.2016 स्वीकार करते हुए दिनांक 29.11.2016 को प्रकरण पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये गये हैं।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक श्री सत्यनारायण शर्मा ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानी अधीन पट्टा सं0–73 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित जारी किया गया हैं। पट्टा सं0–73 जारी किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के विक्रय बाबत् कोई धोषणा जारी नहीं की गई और न ही आपत्ति नोटिस नियमानुसार चस्पा किये गये। तीन पंचों की समिति गठित करके मौका रिपोर्ट भी नहीं मंगवाई गई सारी कार्यवाही गुपचुप में तत्कालीन सरपंच श्री नारायण प्रसाद ने अपने चहेते व पारिवारिक संबधियों से साझकर नुमायसी कागजी कार्यवाही की हैं। पट्टा सं0–73 जो जारी किया गया हैं उस पर गैर–निगरानीकर्ता सं0–02 का पुराना मकान होना बताया हैं, जो सरासर मिथ्या हैं। वास्तविकता यह हैं कि वादग्रस्त भू–खण्ड आराजी खसरा नं0–347 आबादी भूमि में हैं और इसमें निगरानीकर्ता का मकान, पानी का होद, एक दुकान, बाउण्ड्रीवाल व नौल्या बना हुआ हैं। मकान की नाप 65 X 50÷2 अर्थात् 181 वर्गगज् बाडे की नाप 38 X 90÷2 अर्थात् 190 वर्गगज् कुल 371 वर्गगज् हैं जो कदीम से बजमाने बुजुर्गान से निगरानीकर्ता के उपयोग–उपभोग में चली आ रही हैं तथा जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में गणपतलाल जोगी का बाडा, पश्चिम में पहाडिया रोड़, उत्तर में जगदीश कुमार का मकान व दक्षिण में कैलाश मीणा का भूखण्ड स्थित हैं। ग्राम पंचायत ने

बिना मौका मुआयना किये निगरानीकर्ता की पैतृक भूमि में से गैर– निगरानीकर्ता दो को अवैध रूप से आवंटित कर पट्टा जारी किया हैं जो अवैध होने से निरस्तनीय हैं। मिन निगरानीकर्ता की पैतृक एवं कब्जेशुदा भूमि जिसके चारों ओर निगरानीकर्ता ने बाउण्ड्रीवाल बना रखी हैं। गैर–निगरानीकर्ता सं0–02 ने अवैध रूप से जारी किये गये पट्टे के आधार पर लाठी के जोर से कब्जा करने की निगरानीकर्ता को दिनांक 10.02.2013 को धमकी दी। ऐसी स्थिति में निगरानीकार ने गैर–निगरानीकार सं0–02 के विरूद्ध दिनांक 18.02.2013 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दूदू से स्थगन आदेश प्राप्त किया तथा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये मौका कमिश्नर की रिपोर्ट दिनांक 19.02.2013 में वादग्रस्त भूखण्ड पर निगरानीकर्ता का कब्जा, मकान आदि होना दर्शाया हैं जिससे गैर–निगरानीकर्ता सं0–01 द्वारा लिया गया प्रस्ताव सं0–2 एवं जारी किया गया पट्टा सं0–73 प्रारम्भ से ही शून्य हो जाता हैं। ग्राम पंचायत ने गैर– निगरानीकार सं0–2 निःशुल्क भूखण्ड दिया हैं जिसका कि वह हकदार नहीं हैं। ग्राम डाबला खुर्द में आबादी भूमि की कीमत 500/– रूपये वर्गगज से कम नहीं हैं इसके बावजूद भी पट्टा फीस 200/– रूपये मात्र लेकर 70,000/– रूपये की भूमि अवैध रूप से दे दी जिससे ग्राम पंचायत को आर्थिक नुकसान हुआ हैं। वादग्रस्त भूखण्ड का बजमाने बुजुर्गान निगरानीकर्ता 50 वर्षो से उपयोग–उपभोग करता आ रहा हैं तथा पुख्ता मकान, नोहरा व बाडा बना रखा हैं। इस कारण से निगरानीकर्ता नियम 157 के अन्तर्गत वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा लेने का हकदार हैं। सरपंच ने मात्र अपने चहेते को अनुचित लाभ पहुँचाने की गरज से अपने वोट बैंक को खुश करने के उद्देश्य से केवल मात्र कल्पना के आधार पर पट्टा जारी किया हैं जो मौके के विपरित तथ्य होने से निरस्तनीय हैं। निगरानीकर्ता बीपीएल परिवार एवं अनुसूचित जाति का सदस्य हैं और इससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति यह हैं कि निगरानीकर्ता के दोनों हाथ कटे हुए हैं जिससे वह विकंलाग हैं। निगरानीकर्ता की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर अवैध रूप से प्रारम्भ से शून्य पट्टा जारी किया हैं। अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे और अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 05.02.2013 एवं इसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा सं0–73 निरस्त फरमाया जावे पूर्व निर्णय दिनांक 25.05.2015 को यथावत रखा जावे।

गैर–निगरानीकार सं0–2 के विद्वान् अभिभाषक श्री भूपेन्द्र भारद्वाज का कथन है कि निगरानी अधीन आज्ञा दिनांक 05.02.2013 ग्राम पंचायत–मौहब्बतपुरा व इसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा सं0 73 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरुप पारित की गई हैं। वादग्रस्त भूखण्ड पर निगरानीकर्ता

का कोई कब्जा नहीं हैं और न ही कोई सम्बन्ध–सरोकार हैं। निगरानीकर्ता ने ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जो यह साबित करते हो कि वादग्रस्त उसकी स्वयं की पुश्तैनी भूमि हैं। ग्राम पंचायत–मौहब्बतपुरा ने गैर–निगरानीकर्ता सं0–2 की कब्जाशुदा रिहायशी भूखण्ड पर पुराना कब्जा पाये जाने से अधिनियम की धारा 157 के अन्तर्गत पट्टे देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया हैं और ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 05.02.2013 के अनुसरण में ही पट्टा सं0 73 वैधानिक रूप से जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड का मौका देखने हेतु 3 पंचों की कमेटी गठित की हैं। तीनों पंचों ने मौका देखकर ग्राम पंचायत में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं नियमानुसार आपत्ति नोटिस जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत–मौहब्बतपुरा द्वारा नियमों की समस्त प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया गया हैं। अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाया जावें पूर्व निर्णय दिनांक 25.05.2015 को खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। निगरानीकर्ता द्वारा वादग्रस्त भू–खण्ड के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वाद व स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं, सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण से मौका कमिश्नर की नियुक्ति की गई हैं। मौका कमिश्नर ने अपने मौका निरीक्षण के नजरी नक्शा में वादग्रस्त भू–खण्ड पर निगरानीकर्ता का कब्जा बताया हैं। इसके खण्डन में गैर–निगरानीकर्ता सं0–02 के विद्वान् अभिभाषक ने ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं, जो यह सिद्ध करते हो कि वादग्रस्त भू–खण्ड पर गैर–निगरानीकार सं0–02 का पुराना कब्जा हो, जब गैर–निगरानीकार सं0–02 का कब्जा ही नहीं हैं तो पट्टा नियमानुसार दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। उक्त विवेचानानुसार गैर–निगरानीकर्ता सं0–02 द्वारा पट्टे सं0–73 के समर्थन में कोई वैध दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण निर्णय दिनांक 25.05.2015 में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही पाते हैं। अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं और फैसला दिनांक 05.02.2013 एवं गैर–निगरानीकार सं0–02 के हक में जारी किया गया पट्टा सं0–73 निरस्त किया जाता हैं, निर्णय दिनांक 25.05.2015 यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 27.06.2017 को सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

27/6/17

(सुनील भाटी)

अति. कलक्टर (द्वितीय)

जयपुर